कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopith-forest-uk@nic.in; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉक 1738 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 04 अक्टूबर, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में बड़ाबे धारी बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन मो0मा0 के निर्माण हेतु 3.867 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 35678/2018)।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 467/12–1(2) दिनांक 22.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयक प्रस्तावित मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। वन क्षेत्राधिकारी तथा सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित बड़ाबे धारी बेलतड़ी मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण के दौरान चयनित समरेखन में ही वृक्षों का छपान एवं पातन किया गया है। वर्तमान में समरेखन पर पातन हेतु कोई चिन्हित वृक्ष शेष नहीं है।

अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

o/c

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 157 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 08–03–2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में बड़ाबे–धारी–बेल्तड़ी मो0मा0 के किमी0 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.867 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :– **अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 482/FP/UK/ROAD/ 35678/2018 दि0 18–08–2021 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नप्रकार है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 01 मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 02 मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.734 है0 गैर वानिकी भूमि खसरा नं0 10, पट्टी–पत्थरखानी, ग्राम–क्वारबन में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों के एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नॉटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईडलाईन पैरा 2.4 (I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 (क) मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 03 (ख) मान्य है (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किये जा सकते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 04 मान्य है।

क्रमशः – 2 – पर

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य : – (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 19.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी.(Pt.2)दि0 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दि0 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.867 हे0 वनभूमि क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 05 (क) मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 05 (ख) मान्य है (शपथपत्र संलग्न है)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 36 होगी एवं पेड़ राज्य वनविभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 06 मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 07 मान्य है (धनराशि जमा की गयी है, चालान संलग्न है)।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 08 मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 09 मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 10 मान्य है।
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनवीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 11 मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 12 मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 13 मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 14 मान्य है।
15	प्रयोक्त अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 15 मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 16 मान्य है।

क्रमशः – 3 – पर

क्र0सं0	अधिरोपित शर्ते	अनुपालन आख्या
17	परियोजना कार्य के निस्तारण के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 17 मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 18 मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 19 मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 20 मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं0 11–42/2017–एफसी दि0 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 21 मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 22 मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई– पोर्टल (http://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं0 23 मान्य है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

:: प्रमाण पत्र :: शर्त 5 (ख)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करा दी गयी है शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा।

AE

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे–धारी–बेल्तडी मो0मा0 के किमी0 10.00 से क्वारबन मो0मा0 (लम्बाई 4.625 किमी0) के निर्माण हेतु 7.734 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु जनपद पिथौरागढ़ में तहसील–पिथौरागढ़, पट्टी–पत्थरखानी, ग्राम–क्वारबन के अन्तर्गत गैर जमींदारी विनाश खतौनी खता सं0–44, श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नं0 10 मध्ये रकवा 7.734 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। सन् 1893 की राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है, तथा उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

J.E

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ

प्रभागीय **वनाधिकारी**,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़

वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरणः– जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत बड़ाबे धारी बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षे0– 3.867 हे0

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल– 7.734

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नामः– पत्थरखानी

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्याः– 1100

कम सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे0	147	हे0	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान)	0.6	हे0	887	हे0	532.2
3	लेंटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लेंटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़	0.4	हे0	6608.68	हे0	2643.472
ब	लेंटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	हे0	2202.5	हे0	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	हे0	11700	हे0	11700
5	कंटूर फर्रे खुदान (600 र0मी0 प्रति हे0)	600	र0मी0	11.14	प्रति हे0	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 200घन मी0	90	घन मी0	478	प्रति घन	43020
7	गढ्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	हे0	11.14	हे0	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे0	737	हे0	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	हे0	8.7	हे0	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रर्वेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गडडे खोदना	1	हे0	470	हे0	470
	योग **प्रथम चरण**					**90601.672**

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गडडे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5

सहायक अभियन्ता
...ई खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

3	पौध ढुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गडड़े	3.13	गडड़े	3443
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी0	1.05		630
6	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	गडड़े	2.3	गडड़े	2530
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	है0	0.32	है0	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है0	7235	है0	7235
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000		11.14		11140
10	1– वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास–फूस एव ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2– सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	3– वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में 2–3 बार फोटोग्रफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है0	700	है0	700
	योग द्वितीय **चरण**					**42784.5**

तृतीय **चरण**

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कन्टूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र0मी0	11.14		11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	32	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	7377.6
	योग तृतीय **चरण**					**30344.6**

चतुर्थ **चरण**

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	4	संख्या	4500		18000
	योग **चतुर्थ चरण**					**29827**

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग पंचम चरण					**11827**

षष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500		22500
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	6916.5
	योग **षष्टम चरण**					**41243.5**

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	5	सख्या	4500		22500
	योग सप्तम चरण					**34327**

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग अष्टम चरण					**22201.75**

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग नवम् चरण					**22201.75**

दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग दशम चरण					**11827**
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)				या	**337185.77** 337184.00

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 337184 रु0

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 7.734 है0

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 7.734 है0 X 337184 = 26,07,781.00

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौ0

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉक / दिनांक, पिथौरागढ़, 23 फरवरी, 2021।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ावे धारी बेलतड़ी मो0मा0 के किमी0 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.867 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय की पत्र संख्या 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 56 / 2019एफ0सी0 / 2914 दिनांक 13.03.2020 व प्रस्तावक विभाग की पत्र सं0 99 / 03 पी0एम0जी0एस0वाई दिनांक 10.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन कर लिया गया है, व सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– 3132 / 12-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाइ खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

फोन / फैक्स नं0 05964–226685 ई–मेलः– eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 99 /03 पी0एम0जी0एस0वाई0 दि0 10–02–2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे–धारी–बेल्तड़ी मो0मा0 के किमी0 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.867 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है–

शर्त संख्या 1– के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु ₹ 26,07,781.00 (रूपया छब्बीस लाख सात हजार सात सौ इकासी) मात्र की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–क्वारबन, पट्टी–पत्थरखानी, तहसील–पिथौरागढ़, जिला–पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 7.734 हे0 वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या 2– के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ₹ 25,40,619.00 (रूपया पच्चीस लाख चालीस हजार छः सौ उन्नीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।

शर्त संख्या 3– के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया जा रहा है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी। (छायाप्रति संलग्न)।

शर्त संख्या 4– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त मदों में देय धनराशि ₹ 51,48,400.00 (रूपये इक्यावन लाख अडतालीस हजार चार सौ) मात्र को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund उत्तरांचल एस0बी0 एकाउण्ट नं0 150896135678245 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, ब्लॉक–11, भूतल, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स फेज–1, नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है, धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

शर्त संख्या 5– के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोग्ता अभिकरण द्वारा अपने वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

o/c **अधिशासी अभियन्ता,**
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

o/c **अधिशासी अभियन्ता,**
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 56 / 2019 / एफ0सी0 / 2714

दिनांक: 13 / 03 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बड़ावे–धारी–बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.867 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 272/x-4-19/1(24)/2019 दिनांक 03.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/35678/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.02.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बड़ावे–धारी–बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.867 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.734 है0 गैर वानिकी भूमि खसरा नं0 10, पट्टी पत्थरखानी, ग्राम क्वारबन में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक

30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.867 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 36 होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

11. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।

12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक 3536/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 08, मई, 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बड़ावे—धारी—बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.0 से क्वारबन तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु **(FP/UK/ROAD/35678/2018)** हेतु 3.867 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रान्त होने के फलस्वरुप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— आपका पत्रांक 254/03 दि0 08—05—2020 व भारत सरकार पर्यावरण, वन मंत्रालय के आदेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/05/56/2019/एफ सी/2914 दिनांक 13.03.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेश एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 व 2 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः—

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	3.867 हे0	6,57,000/— (ईको क्लास V) घनत्व 0.2	25,40,619/—
2	क्षतिपूरक	7.734 हे0	3,37,184/—	26,07,781/—

कृपया उक्त डिमान्ड नोट आन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-05-2020

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6135678245
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/56/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	I.D. PWD PMGSY PithoragarhPithoragarh
Amount(in Rs)	5148400/-

Amount in Words :Fifty-One Lakh Forty-Eight Thousand Four Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896135678245 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-05-2020

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6135678245
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/56/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	I.D. PWD PMGSY Pithoragarh Pithoragarh
Amount(in Rs)	5148400/-

Amount in Words :Fifty-One Lakh Forty-Eight Thousand Four Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896135678245 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/56/2019/एफ.सी./2914 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बड़ाबे धारी–बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी 10 से क्वारबन तक मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही 3.867 है0 वन भूमि के बदले 7.734 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बड़ाबे धारी–बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी 10 से क्वारबन तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.867 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ की आख्या/सहमति के आधार पर ग्राम क्वारबन पट्टी पत्थरखानी तहसील पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–44 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 10 मध्ये रकवा 7.734 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक नवम्बर 17 , 2020

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 262 /सात–02 /2020–21 दिनांक नवम्बर 17, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिचाई खण्ड पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

17/11/20

(डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

रण खतौनी ग्राम- क्वारबन राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र- पत्थरखानी तह०/ जिला- पिथौरागढ़

ि की श्रेणी (4) अन्य कारणों से अकृष्य भूमि (बं० ना० आ०)

र्थी / प्रार्थिनी- पी० डब्ल्यू० डी० एस० वार्ड पिथौरागढ़

खाता खतैनी सं0	खातेदार का नाम व पिता का नाम	फसली वर्ष	खेत नं.	क्षेत्रफल ना.मु.	क्षेत्रफल हे० में	विवरण
44	बंजर नाकाबिल आबाद	1374	1	९६२१=	2.318	
			2	९४०११=	2.817	
			3	५३२११	10.712	
			4	२८४११	5.712	
			7	२११	0.050	
			9	२८०११	5.765	
			10	५६५११=	11.347	
			11	४९०	8.225	
			13	४२=	0.846	
			15	६०६१	12.161	
			16	९६२११	3.259	
			17	६०८१=	12.225	
			18	९४६४११	29.372	
			19	९३६२११=	27.395	
			20	९६२११	3.259	
			काबिल खेती उजाड़			
			4047	४५०	9.027	
			4049	९४	0.381	
			4051	६३	1.264	
			4087	२०८	4.172	
		योग	116	९३९५८॥=	264.671	

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

महोदय, असल खतौनी से उद्धरण किया।

7/5/12

मौका खसरा ग्राम - बक्वाबन रा०उ०नि० क्षेत्र पत्थरखानी तहसील व जिला पिथौरागढ़

श्रेणी: 10(4) अन्य कारणों से अकृषक भूमि (बं० ना० आ०)

विषय: क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि

खतौनी खाता संख्या	नाम खातेदार / पिता पति का नाम	खेत नम्बर	क्षेत्रफल	प्रस्तावित खेत नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल		विवरण
44	बंजर नाकाबिल आबाद	10	11.347	10 म०	7.734		7.734 हे० भूमि खेत सं० 10 मध्ये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित,
	योग	1	11.347	1	7.734		

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

महोदय,
मौका खसरा भैपार किया.

6/6/18

(पी०सी०कापड़ी)
राजस्व उप निरीक्षक पत्थरखानी
तहसील एवं जिला-पिथौरागढ़

:: बचनबद्वता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे–धारी–बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वाबरन मोटर मार्ग की एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।

:: बचनबद्वता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे–धारी–बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी0 10.00 से क्वाबरन मोटर मार्ग में सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ पर सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,
पिथौरागढ़।